

मंत्रपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

23 मई, 2022 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश ग्रामीण (सीमांत, छोटे कसिान तथा भूमहीन कृषि श्रमकि) ऋण वमिक्ता वधियक, 2022 के प्रारूप के अनुमोदन के नरिणय के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्रपरिषद की बैठक में वत्तीय वर्ष 2022-23 के लयि नरिधारति दरों पर वभिनिन श्रेणयिों में उपभोक्ताओं को 16 हज़ार 424 करोड़ 18 लाख रुपए की सब्सिडी देने का नरिणय लयि गया। यह प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लयि गृह ज्योति योजना में स्वीकृत 5,584 करोड़ 40 लाख रुपए की सब्सिडी के अतरिकृत है। इसके एवज़ में वदियुत वतिरण कंपनयिों को सब्सिडी दी जाएगी।
- मंत्रपरिषद ने भारत सरकार द्वारा संचालति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कसिानों को फसल हानि/कृषति होने पर वत्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 17 हज़ार 72 करोड़ 30 लाख रुपए का वत्तीय आकार नरिधारति करते हुए इसे नरितर बनाए रखे जाने का नरिणय लयि।
- इसमें 2020-21 से 2022-23 तक के लयि 8 हज़ार 410 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं 8 हज़ार 410 करोड़ रुपए राज्यांश और राज्यांश राशा का 3 प्रतशित प्रशासनकि व्यय राशा रुपए 252 करोड़ 30 लाख रुपए शामिल है।
- मंत्रपरिषद ने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा से उत्पादति वदियुत की नकिसी के लयि मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमशिन कंपनी द्वारा ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर परयोजना में कयि जा रहे पोषण कार्यों के वत्ति पोषण हेतु मेसर्स के.एफ. डब्ल्यू. जर्मनी से स्वीकृत ऋण राशा 124 मलियिन यूरो का संपूर्ण उपयोग करने की सहमति दी।
- मंत्रपरिषद द्वारा सगिाजी ताप वदियुत परयोजना (वत्तीय चरण), ज़िला खंडवा 2X660 मेगावॉट की पुनरीकृषति लागत 7 हज़ार 738 करोड़ रुपए का अनुमोदन दयि गया।
- मंत्रपरिषद ने मध्य प्रदेश ग्रामीण (सीमांत, छोटे कसिान तथा भूमहीन कृषि श्रमकि) ऋण वमिक्ता वधियक, 2022 के प्रारूप तथा मध्य प्रदेश भू-राजसव संहति (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अनुमोदन कयि।
- मंत्रपरिषद ने रामपुरा मनासा सूक्ष्म उदवहन सचिाई परयोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परयोजना की लागत राशा 1208 करोड़ 89 लाख रुपए है। इस परयोजना की रबी के लयि सचिाई कृषमता 65 हज़ार 400 हेक्टेयर होगी। परयोजना से मनासा तहसील के 215 ग्रामों के कृषकों को सचिाई सुवधि का लाभ प्राप्त होगा।